मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2010—फाल्गुन 7, शक 1931

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश,
(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम,
(2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, भोपाल
चतुर्थ एवं पंचम् तल, विट्ठन मार्केट, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2010

क्र. 408-म.प्र.विनिआ/2010.—विद्युत् अधिनियम, 2003 की धारा 181 सहपठित धारा 45 (3) (बी) तथा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली हेतु दिनांक 7 सितम्बर 2009 को अधिसूचित मध्यप्रदेश नियामक आयोग

(विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण-1), 2009 में निम्न संशोधन/परिवर्धन करता है:—

''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—1.1 ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009 (प्रथम संशोधन) [एआरजी-31(1)(i), वर्ष 2010]'' कहलायेंगे.

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में समस्त वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को उनके तत्संबंधी अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्रों में प्रयोज्य होंगे.

1.3 ये विनियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रभावशील होंगे.

2. परिशिष्ट 1 के खण्ड XV में संशोधन.—

''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (विद्युत् प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत् लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009'' को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

XV. **अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु पंजीकरण शुल्क :**

नवीन अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ता तथा वह अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ता जो अपने प्रदाय बिन्दु को परिवर्तित किया जाना तथा/ अथवा संविदा मांग/संयोजित भार में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित करता है, से निम्न दर्शायेनुसार पंजीकरण शुल्क, आवेदन-पत्र के साथ वसूली योग्य होगी. पंजीकरण शुल्क को अति उच्च दाब/उच्च दाब/निम्न दाब विद्युत् प्रदाय प्राप्त किये जाने पर, आवेदन-पत्र की कीमत को घटाकर, समायोजित किया जाएगा. परन्तु ऐसे जमा किये गये शुल्क की राशि को राजसात कर लिया जाएगा यदि उपभोक्ता विद्युत् प्रदाय का लाभ, विद्युत् वितरण कम्पनी द्वारा स्वीकृत भार की दिनांक से 180 दिवस के अन्दर अथवा भार स्वीकृति की निर्धारित तिथि के अन्तर्गत नहीं प्राप्त करता, जो भी लागू हो, अथवा भार स्वीकृति के उपरान्त अनुरोध को निरस्त कर देता है.

सरल क्रमांक (1)	उपभोक्ता श्रेणी (2)	(रुपये प्रति आवेदन) (3)
1.	निम्न दाब उपभोक्ता :	
	(अ) गरीबी रेखा से नीचे के (बीपीएल) उपभोक्ता जिनके प्राक्कलित भार 500 वॉट तक के हैं.	30
	(ब) अन्य एकल फेज निम्न दाब घरेलू/ गैर घरेलू उपभोक्ता	250
	(स) शेष निम्न दाब उपभोक्ता	1500
2.	अति उच्च दाब/उच्च दाब उपभोक्ता	10,000

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 15th February 2010

No.408-MPERC-2010.—In exercise of the powers under Section 181 read with Section 45(3) (b) and 46 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003) and all powers enabling it in that behalf, the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations (Revision-1), 2009 notified on 7th September 2009.

FIRST AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (RECOVERY OF EXPENSES AND OTHER CHARGES FOR PROVIDING ELECTRIC LINE OR PLANT USED FOR THE PURPOSE OF GIVING SUPPLY) REGULATIONS (REVISION-I), 2009

1. **Short Title and Commencement.**—1.1 These Regulations may be called the 'Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations, (Revision-I) 2009 (First Amendment) [ARG-31(1) (i) of 2010]'.

1.2 These Regulations shall extend to the whole of Madhya Pradesh.

1.3 These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette of the Goverment of Madhya Pradesh.

2. Ammendment to the Point No. XV of Annexure-I.—

"In the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Recovery of expenses and other charges for providing electric line or plant used for the purpose of giving supply) Regulations, (Revision-I), 2009" the following shall be substituted in point No. XV of Annexure-I namely:—

XV. Registration fee from EHT / HT / LT consumers:

The following registration fee is recoverable alongwith application form from a new EHT / HT / LT consumer and also from such existing EHT / HT / LT consumer (who proposes to change his point of supply and/or increase in the contract demand/connected load. The registration fee shall be adjusted on availing of EHT / HT / LT supply by the consumer after deducting cost of the application form. Such fee, however, shall be forfeited if EHT / HT / LT consumer does not avail supply within 180 days or within the stipulated time as per load sanction, whichever is applicable; or cancels the request after load sanction by the Discom.

S. No. (1)	Consumer Category (2)	(Rs./Application) (3)
1.	LT Consumers :	
	(a) BPL consumers with estimated load upto 500 W	30
	(b) Other single phase LT domestic/non-domestic consumers	250
	(c) Rest of LT consumers	1,500
2.	EHT / HT Consumers	10,000

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

भोपाल, दिनांक 18 फरवरी 2010

क्र. 438-मप्रविनिआ/2010.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 वर्ष 2003) की धारा 181(1) सहपठित धारा 91(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 30 जनवरी 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2009 में निम्न संशोधन करता है.

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009 में द्वितीय संशोधन

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(i) ये विनियम "मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2009 [एआरजी 6(I) (ii), वर्ष 2010]" कहलाएंगे.

(i) ये विनियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ii) इन विनियमों का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य होगा.

2. आयोग से संबंधित प्रकरणों में नियुक्त किये गये अधिवक्ता को देय व्यावसायिक शुल्क की अनुसूची में संशोधन.

(i) मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2009 में आयोग से संबंधित प्रकरणों में नियुक्त किये गये अधिवक्ता को देय व्यावसायिक शुल्क की अनुसूची में निम्नलिखित अन्तरस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

vii विधिक मत हेतु शुल्क

वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु	रुपये 5000/- जिसमें टंकण इत्यादि हेतु खर्चे सम्मिलित हैं.
कनिष्ठ अधिवक्ता हेतु	रुपये 2500/- जिसमें टंकण इत्यादि हेतु खर्चे सम्मिलित हैं.

(ii) मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण-प्रथम) विनियम, 2009 में आयोग से संबंधित प्रकरणों में नियुक्त किये गये अधिवक्ता को देय व्यावसायिक शुल्क की अनुसूची में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

सरल क्रमांक (1)	विवरण (प्रकरण) (2)	शुल्क (रुपयों में) (3)
(i)	1. उच्च न्यायालयीन प्रकरणों में	अधिवक्ता हेतु 10,000/- तथा वरिष्ठ अधिवक्ता हेतु 20,000/-
	2. अपीलीय न्यायाधिकरण (ट्रिब्यूनल) संबंधी प्रकरणों में.	आयोग द्वारा प्रकरण दर प्रकरण अनुसार निर्णित
	3. सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरणों में	आयोग द्वारा प्रकरण दर प्रकरण अनुसार निर्णित

आयोग के आदेशानुसार,
पी. के. चतुर्वेदी, आयोग सचिव.

Bhopal, the 18th February 2010

No.438-MPERC-2010.—In exercise of powers conferred under Section 181(1) read with Section 91(4) of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendment in MPERC (Appointment of Consultants) (Revision-1) Regulations, 2009 which was notified on 30th January 2009 in Madhya Pradesh Gazette.

SECOND AMENDMENT TO MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATIORY COMMISSION (APPOINTMENT OF CONSULTANTS) (REVISION-1) REGULATIONS, 2009

1. **Short title and Commencement.**—(i) These Regulations may be called the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Revision-1) (Second Amendment) Regulations, 2009 [ARG-6 (I) (ii) of 2010].

(ii) These Regulations shall come into force on the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

(iii) These Regulations shall extend to the entire State of Madhya Pradesh.

2. Amendment/ Addendum to Schedule of Professional Fee etc. payable to Counsel engaged in Commission's cases.

(i) In the MPERC (Appointment of Consultants) (Revision-1) Regulations, 2009 the following shall be inserted in the Schedule of Professional fee etc. payable to Counsel engaged in Commission's cases, namely:—

viii	Fee for Legal Opinion	
	For Sr. Counsel	Rs. 5,000/- including all expenses towards typing, etc.
	For Junior Counsel	Rs. 2,500/- including all expenses towards typing, etc.

(ii) In the MPERC (Appointment of Consultants) (Revision-I) Regulations, 2009 the following shall be substituted in the Schedule of Professional Fee etc. payable to Counsel engaged in Commission's cases, namely:—

S. No. (I)	Particulars (Cases) (2)	Fee (in Rs.) (3)
i	1. High Court Cases	I0,000/- for advocate & 20,000/- for Sr. advocate.
	2. Case in Appellate Tribunal	As decided by the Commission on case to case basis.
	3. Supreme Court Cases	As decided by the Commission on case to case basis.

By order of the Commission,
P. K. CHATURVEDI, Commission Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.